कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) : दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस 2022

"हिन्दी दिवस" के पावन अवसर पर जिला न्यायालय, दिल्ली के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।

भारत की सभी भाषाएं हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए राजभाषा हिंदी के प्रचार की महत्ता है। इस संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाये जाने वाले हिंदी दिवस का विशेष महत्व है। हम सभी जानते हैं कि देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26.01.2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अतः सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने का पूर्ण उत्तरदायित्व हम सभी पर है।

हिंदी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हिंदी भाषा हमारी पहचान है। आज यह आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी को अधिकाधिक स्वीकार्य बनाते हुए सरकारी कामकाज में सरल और सुबोध हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जनभाषा, दोनों रूपों में, हिंदी के विकास और प्रयोग के प्रति अपने आपको समर्पित करें और पूरे मनोयोग से राजभाषा हिन्दी को अपनाएँ।

संजय कुमार

(संजय कुमार)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 26176-26258/हिंदी/पश्चिम/2022 दिल्ली, दिनांक 12-09-22

संदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. सुश्री शैल जैन, विद्वान प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) एवं अध्यक्षा, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, विद्वान प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) क0के0ड्0 एवं सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एवं सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली, श्री हेम राज, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, केन्द्रीय एवं सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली।
4. कार्यालय प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, पश्चिम, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, पश्चिम, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. वेबसाइट समिति (अँग्रेजी/हिन्दी), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

नोट : कृपया अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएँ।

संजय कुमार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

12 H